



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180249

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 30871 वर्ष 2026

दानिश अहमदआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्यप्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : निशा मिश्रा, रजनीश कुमार शर्मा

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 79

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बातें सुनीं।
2. वर्तमान आवेदन दिनांक 07.05.2025 के आरोप पत्र तथा दिनांक 27.10.2025 के संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ केस क्राइम संख्या 208 वर्ष 2024, धारा 406, 420 भारतीय दंड संहिता, थाना नहटौर, बिजनौर से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 15046 वर्ष 2025 (राज्य बनाम मुनक्कर मिर्जा एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, जनपद बिजनौर के न्यायालय में लंबित है।
3. आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित आरोप पत्र के साथ-साथ वर्तमान मामले के संज्ञान/समन आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाही को मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2024 10 एससीसी 690 में प्रतिपादित विधि के अनुसार, धारा 420 और 406 भारतीय दंड संहिता एक ही समय में साथ-साथ नहीं लगाई जा सकती हैं। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:-

"38. हमारे विचार में, परिवाद के साधारण पठन से उपर्युक्त उल्लिखित तत्वों में से कोई भी तत्व स्पष्ट नहीं होता है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि पुलिस के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों के मन में विधि की एक गंभीर भ्रांति को दूर करने के उद्देश्य से, यदि परिवादी का यह मामला है कि अभियुक्त द्वारा धारा 405 भारतीय दंड

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता में परिभाषित तथा धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय आपराधिक न्यासभंग का अपराध किया गया है, तो उसी आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त ने धारा 415 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित तथा धारा 420 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय छल का अपराध भी किया है।

41. सिर्फ संविदा के उल्लंघन और आपराधिक न्यासभंग तथा छल के अपराध के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म है। छल के मामले में, प्रलोभन दिए जाने के समय अभियुक्त की मंशा पर विचार किया जाना चाहिए, जिसका आकलन बाद के आचरण से किया जा सकता है, किंतु इसके लिए बाद का आचरण ही एकमात्र कसौटी नहीं है। केवल संविदा का उल्लंघन, छल के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता, जब तक कि लेन-देन के प्रारंभ से ही, अर्थात् उस समय से जब अपराध किया जाना कहा गया है, कपटपूर्ण या बेईमान मंशा प्रदर्शित न हो। अतः यही मंशा अपराध का सार है।

43. आपराधिक न्यासभंग और छल के बीच अंतर है। छल के लिए मिथ्या या भ्रामक अभ्यावेदन किए जाने के समय, अर्थात् प्रारंभ से ही, आपराधिक मंशा का होना आवश्यक है। आपराधिक न्यासभंग में केवल न्यासित किए जाने का प्रमाण पर्याप्त है। इस प्रकार, आपराधिक न्यासभंग के मामले में, अपराधी को विधिपूर्वक संपत्ति न्यासित की जाती है और वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग करता है। जबकि छल के मामले में, अपराधी किसी व्यक्ति को धोखा देकर कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे कोई संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ऐसी स्थिति में, दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं।



55. यह उचित समय है कि पूरे देश के पुलिस अधिकारियों को विधि में उचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे छल के अपराध और आपराधिक न्यासभंग के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझ सकें। दोनों अपराध स्वतंत्र और पृथक हैं। समान तथ्यों के आधार पर दोनों अपराध एक साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। वे एक-दूसरे के विपरीत हैं। भारतीय दंड संहिता के दोनों प्रावधान (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023) ऐसे जुड़ाव नहीं हैं कि एक-दूसरे के बिना अस्तित्व में ही न रह सकें।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने वर्तमान आवेदन के माध्यम से की गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवलंबित स्थापित विधि के सिद्धांत का खंडन करने में असमर्थ रहे।

5. चूंकि विधिक प्रश्न आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया है, अतः प्रतिपक्षी संख्या 2 को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया से एतद्वारा छूट दी जाती है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, मामले के अभिलेख तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का परिशीलन करने के पश्चात, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि दोनों धाराएं, अर्थात् धारा 420 और 406 भारतीय दंड संहिता, एक साथ नहीं लगाई जा सकती हैं और अतः केस क्राइम संख्या 208 वर्ष 2024, धारा 406, 420 भारतीय दंड संहिता, थाना नहटौर, बिजनौर से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 15046 वर्ष 2025 (राज्य बनाम मुनव्वर मिर्जा एवं अन्य) में दिनांक 27.10.2025 को पारित संज्ञान/समन आदेश, जो विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, जनपद बिजनौर के न्यायालय में लंबित है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है। मामले को संबंधित विद्वान न्यायालय को इस निर्देश के साथ वापस भेजा जाता है कि वह माननीय उच्चतम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय द्वारा दिल्ली रेस क्लब (उपर्युक्त) के मामले में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के आलोक में, यदि आवश्यक हो, तो अपराध का संज्ञान लेने के लिए नया आदेश पारित करे।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन आंशिक रूप से अनुमन्य किया जाता है।

(सौरभ श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

31 अगस्त, 2026

आशीष/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।